रजिस्टर्ड नं0 ल0-33/एस0 एम0 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 6 अक्तूबर, 1990/14 आश्विन, 1912

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्यालय जांच आयोग (मल्होत्रा कमीशन) हिमाचल प्रदेश सचिवालय शिमला-2

सार्वजनिक सूचना

शिमला-2, 5 अक्तूबर, 1990

संख्या सी0 ओ0 आई0 (एम0 सी0) पब0 एन0/90.—चूंकि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न स्थानों विशेषत: शिमला जिले के कोटगढ़, भेकलटी नामक स्थानों तथा जिला कुल्लू के औटर सिराज क्षेत्र आदि में आन्दोलनकर्ताओं पर जैसा कि आरोप लगाये गये थे कि सुरक्षा बलों द्वारा बिना कारण फल और सब्जी उत्पादकों के संघ द्वारा आन्दोलन किये जाने पर, तथा उत्पादकों पर कथित आरोपित ज्यादतियां तथा अन्य सम्बन्धित मामलों की जांच के उद्देश्य से जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन अधिसूचना संख्या गृह (ए) ए (9)-41/90, दिनांक 4 सितम्बर, 1990 द्वारा जांच आयोग की नियुक्ति की गई है।

तथा चूंकि उसी अधिसूचना के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सरकार ने उक्त जांच आयोग अधिनियम के अधीन श्री जे0 सी0 मल्होत्रा, सेवा निवृत जिला एवं सत्र न्यायाधीश को जांच तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु एक सदस्यीय आयोग के रूप में नियुक्त किया गया है।

उपरोक्त आन्दोलन से सम्बन्धित निम्नलिखित विषयों पर जांच की जानी है और जांच आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट 6 मास के भीतर हिमाचल प्रदेश सरकार को दी जानी है :—

(1) इस जन आन्दोलन की क्या प्रकृति तथा सीमा थी और इसके क्या परिणाम निकल सकते थे ?

(2) इस आन्दोलन के दौरान विशेषकर 3 जुलाई से 17 अगस्त, 1990 तक विभिन्न स्थानों पर सार्वजनिक तथा प्राईवेट सम्पत्ति को कितना नुकसान हुआ और किन कारणों से ?

(3) 22 जुलाई, 1990 को कोटगढ़ में किन परिस्थितियों तथा कारणों से पुलिस गोली कांड हुआ ?

(4) क्या शिमला के विभिन्न स्थानों विशेषकर शिमला के भेकलटी में तथा कुल्लू जिला में आन्दोलनकर्ताओं पर ज्यादतियां की गई या नहीं ?

(5) अन्य बातों के साथ-साथ ऐसी कौन-सी परिस्थितियां या कारण थे जिनके फलस्वरूप व्यथित लोगों को प्लायन करना पड़ा/स्थान बदलना पड़ा ?

(6) अन्य मुद्दे जो उपर्युक्त सन्दर्भों से सम्बन्धित हों ?

तथा चूंकि आयोग उपरोक्त ऐसी शिकायतें अथवा आरोपों जोकि किसी व्यक्ति अथवा संगठनों द्वारा शपथ पत्रों सहित प्रस्तुत किये जायें तथा राज्य सरकार द्वारा प्राप्त ऐसी शिकायतें तथा अभिवेदन जिन्हें आयोग के ध्यान में लाया जाए, सम्बन्ध में भी जांच करेगा ।

अब इसलिये यह सूचना उक्त आयोग के आदेशों द्वारा जारी की जाती है, और ऐसे सभी व्यक्ति अथवा संगठन जिन्हें इस विषय में किसी तथ्य या आरोप की जानकारी हो, से आग्रह किया जाता है कि इस विषय के सम्बन्ध में तथ्यों, आरोपों अथवा किसी जानकारी का उल्लेख निम्नलिखित विधि से प्रस्तुत करें :—

(क) प्रत्येक कथन-पत्र अंग्रेजी या हिन्दी भाषा में होगा ।

(ख) सभी कथन-पत्र प्रथम पुरुष के रूप में तैयार किये जाएंगे, तथा उन्हें क्रमानुसार पैरा में विभक्त किया जाएगा, प्रत्येक तथ्य सम्बन्धी तात्विक कथन को विलय वस्तु का अलग पैरा बनाया जाएगा तथा कथन देने वाला व्यक्ति अपना विवरण, व्यवसाय, यदि हो, तथा वास्तविक निवास का ब्यौरा देगा ।

(ग) यहां ऐसा कथन किसी संगठन द्वारा दिया गया हो तो कथन संगठन के सचिव अथवा इस सम्बन्ध में संगठन की राजसी निकाय द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उचित मोहर लगाकर दिया जाएगा ।

(घ) जहां कथन अभिसाक्षी की व्यक्तिगत जानकारी पर आधारित हो तो वह इस प्रकार का उल्लेख करेगा तथा जब कथन अभिसाक्षी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति से की गई सूचना पर आधारित हो तो सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम तथा पता अथवा यदि सूचना देने वाला व्यक्ति सरकारी कर्मचारी हो जिसका परिचय अभिव्यक्त नहीं किया जाना हो तो फाईल का ब्यौरा जिसमें उपलब्ध संगत सूचना हो का विवरण दिया जाएगा तथा अभिसाक्षी को यह ध्यान देना होगा कि उसके विश्वास के अनुसार सही है ।

(ङ) ऐसे दस्तावेजों की सूची, यदि कोई हो जिन पर अभिसाक्षी निर्भर करता हो उन दस्तावेजों को मूल अथवा असली प्रतियों सहित आयोग को आमन्त्रित करेगा जोकि उनके अधिकार अथवा कब्जे में है तथा किसी दस्तावज के अभिसाक्षी के कब्जे अथवा अधिकार में न होने की स्थिति में उस व्यक्ति का नाम तथा पता कथन सम्मिलित किया जाएगा। जिनसे ऐसे दस्तावेज प्राप्त किये जा सकते हैं ।

(च) शपथ-पत्र निम्नलिखित ढंग से सत्यापित किया जाएगा :—

सत्यापित किया जाता है कि मेरी व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार उपरोक्त शपथ-पत्र में पैरा संख्या...... में दिये गये कथन सही ह तथा पैरा संख्या...........में दिये गये कथन प्राप्त सूचना पर आधारित है तथा मुझे विश्वास है कि ये सत्य ह ।

(छ) आयोग को प्रस्तुत किये जाने वाले सभी शपथ-पत्र न्यायिक मैजिस्ट्रेट, कार्यकारिणी मैजिस्ट्रेट अथवा शपथ आयुक्त द्वारा निम्न ढंग से सत्यापित होने चाहिए अभिसाक्षी द्वारा मेरे सम्मुख शपथ ग्रहण की गई जिसकी पहचान मेरी सन्तुष्टि क अनुसार.......द्वारा की गई अथवा म उसे व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। शपथ-पत्र अभिसाक्षी के सम्मुख पढ़ा गया तथा उसे पूर्णत: स्पष्ट किया गया उसने उसे सही मानकर इस पर......दिन.......19... को हस्ताक्षर किये हैं।

कथन-पत्र सचिव, जांच आयोग, मिनी सचिवालय कमरा नं0 16, प्रथम मंजिल, शिमला-2 को पावती सहित पंजीकृत डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से स्वयं अथवा इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को किसी भी कार्य दिवस ...प्रात: 10 बजे से सायं 1 बजे तक अथवा सायं 2 बजे से सायं 4 बजे प्रस्तुत किये जाएंगे इसके लिए रसीद प्राप्त की जाएगी। कथन-पत्र आयोग के पास 30 नवम्बर, 1990 तक पहुंच जाने चाहिए।

जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 6 जो अभिसाक्षी को आयोग के सम्मुख सिविल अथवा दण्डित कार्यवाहियों के लिए संरक्षण प्रदान करती है, आयोग को सूचना देने में इच्छुक व्यक्तियों की सूचना के लिए नीचे उद्धृत की जाती है:—

6-किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध आयोग के सम्मुख साक्ष्य प्रस्तुत करते समय दिये गये कथन के अभियोजन अथवा ऐसे कथन के द्वारा झूठे साक्ष्य प्रस्तुत करने के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की सिविल अथवा दण्डिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

बशर्ते की कथन:—

(क) आयोग द्वारा अपेक्षित प्रश्न के उत्तर देने के लिये दिया गया हो, अथवा

(ख) जांच की विषय वस्तु से सम्बन्ध हो।

शिमला-171 002:
दिनांक, 5 अक्तूबर, 1990.

पी0 के0 भारद्वाज,
सचिव,
जांच आयोग (मल्होत्रा कमीशन),
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171 002.

COMMISSION OF INQUIRY
(Malhotra Commission)

PUBLIC NOTICE

Shimla-171002, *the* 5*th October*, 1990

No. C. O. I. (M. C.) Pub. N/90.—Whereas by notification No. Home (A) A (9)-41/90, dated the 4th September, 1990, the Government of Himachal Pradesh has appointed a Commission of Inquiry under sub-section (1) of section 3 of the Commission of Inquiry Act, 1952 for the purpose of making inquiry into the alleged police excesses on the agitators without any provocation at several places particularly in places Kotgarh and Bheklti in District Shimla and in Outer Seraj of Kullu district etc. and other related matters pertaining to the agitation, as per agitation call given by the Himachal Pradesh Fruit and Vegetable Growers Association.

AND WHEREAS by the same notification the Governor of Himachal Pradesh, has, under the said Commission of Inquiry Act, appointed Shri J. C. Malhotra, retired District & Sessions Judge, Himachal Pradesh, as one man Commission of Inquiry to inquire into and report on the following matters:—

(1) what were the nature and extent of the public agitation alongwith the consequence thereof ?

(2) what was the extent of damage caused to public and private property at different places in the course of agitation launched by the Himachal Pradesh Fruit and Vegetable Grower Association especially during the period from 3rd July to 17th August, 1990 ?

(3) what were the causes/circumstances leading to police firing in Kotgarh on July 22, 1990 ?

(4) whether or not excesses on agitators were committed in different parts of Shimla especially at Bhekhalti of Shimla district and in Kullu district?

(5) what were the facts concerning alleged inter area migration of distressed people and causes and circumstances of migration?

(6) Any other issue which may be relevant to the above issues.

The Commission of Inquiry is to enquire into the above said matters in relation to the aforesaid agitation and to submit the report to the Government of Himachal Pradesh. within a period of six months.

AND WHEREAS the enquiry by the Commission is to be in regard to complaints or allegations aforesaid that may be made before the Commission by any individual or association, in such form and accompanied by such affidavit as may be prescribed by the Commission and the complaints and representations received by the State Government and brought to the notice of the Commission by them.

NOW THEREFORE, this notice is issued by and under the order of the said Commission inviting all persons, or organisations acquainted with any fact or allegations forming the subject matter of the inquiry to be made by the Commission, to make in the following manner, a statement of facts, setting out therein each item of fact, allegation or information pertaining to such subject matter of inquiry:

(*a*) the statement should be in the form of an affidavit in English or Hindi.

(*b*) all statements shall be drawn up in the first person and divided into paragraphs to be numbered consecutively each material statement of fact being made the subject matter of a separate paragraph, and the person making the statement shall state his description occupation, if any and true place of abode.

(*c*) Where any such statement is made by any organisation, statement should be made by the Secretary of the Organisation or by such other person as may be duly authorised by the governing body of the organisation in this behalf with appropriate seal.

(*d*) where the statements made are based on the personal knowledge of the deponent, he should so state and where the statement is based on any information derived by the deponent from any other person, the name and address of the informant, or if the informant is a Government official whose identity is not intended to be disclosed, the particulars of the Government file containing the relevant information to the extent available, should be stated and the deponent should state that he believes the information to be true.

(*e*) a list of documents, if any on which the deponent proposes to rely, should be forwarded to the Commission alongwith such of the original or true copies of the deponent, and in the case of any document not in the possession or power of the deponent, the statement should include the name and address of the person from whom such documents may be obtained.

(*f*) the affidavit shall be verified in the following manner :—

"Verified that the statements made in paragraphs No......of the above affidavit are true to my personal knowledge and those in paragraphs Nos..........are derived from information received and believed to be true by me."

(*g*) all affidavits submitted to the Commission must be attested by a competent Magistrate or a competent authority in the following manner:

"Sworn before me the deponent who is identified to my satisfaction by........ or is personally known to me. The affidavit has been read out and explained in full to the deponent who has signed it after admitting it to be correct, this ....day of.............1990.

The statement may be sent to the Secretary to the Commission of Inquiry (Malhotra Commission) H. P. Sectt. Room No. 16, First Floor, Shimla-171002 (Pin Code No. 171002) of Mini Secretariat by registered post with acknowledgement due or personally be handed over to him or some other officer authorised by the Commission in this behalf on any working day between 11.00 A.M. to 1.00 P.M. or between 2.00 P.M. to 4.00 P.M. and a receipt be obtained The statements/affidavit should be sent so as to reach the Commission by 30th November, 1990

Section 6 of the Commission of Inquiry Act, 1952 which protects deponents before the Commission from civil or criminal proceedings is reproduced below for the information of the person intending to furnish information to the Commission:

6. No statement made by a person in the course of giving evidence before the Commission shall subject him to, or be used against him any civil or criminal proceedings except a prosecution on giving false evidence by such statements:

Provided that, the statement :—

(*a*) is made in reply to a question which he is required by the Commission to answer, or

(*b*) is relevant to the subject matter of the inquiry.

SHIMLA-171002:
the 5th October, 1990.

P. K. BHARDWAJ,
Secretary to the Commission of Inquiry.
(Malhotra Commission) H. P. Shimla.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।